

राजस्थान-सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 326/2021

बउनवान

बलराम पुत्र गंगाविशन जाति मीना निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारों

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री आलोक गोयल अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 09.11.2021

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 503/2020 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बंजारी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2077 में खसरा नम्बर 911/13 की रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 75/- रूपये तावान राशि से दण्डित किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर अपील को दिनांक 03.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है जिससे अपीलांट को साक्ष्य पेश करने अथवा जवाबदेही का अवसर नहीं मिला। हल्का पटवारी से जिरह भी नहीं हो सकी, इन सभी तथ्यों बाबत् न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी को वक्त बहस अर्ज किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं फरमाया जाकर अपीलांट को सजायाब किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है और न ही उक्त प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की विधिवत् तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है। अपीलांट ने न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी द्वारा किया गया जुर्माना जमा करवा दिया है और सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। इस बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश के कम पढ़े-लिखे व्यक्ति है जिन्हें कानून की बुझकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये है और अपीलांट को जिला कारागृह, बारों में भिजवाने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 21.09.2020 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोर्ड जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी के मिसल नम्बर 539/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्बत् 2076 में भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्बत् 2077 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया जाकर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटि होना पाया जाता है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2021 के अनुसार वर्तमान में अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण वसूली राशि जमा करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 503/2020 में अन्तर्गत एल.आर. एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जाँच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बंजारी तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नम्बर 911/13 की रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नहीं पाया जावे तो नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 503/2020 में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० जिला कलक्टर, बारों